



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2434]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 6, 2016/आश्विन 14, 1938

No. 2434]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2016/ASVINA 14, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2016

का.आ. 3158(अ).—यतः, मै. जाइडस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ने गुजरात राज्य में ग्राम-मटोडा, सारी और राष्ट्रीय राजमार्ग 8ए पर चाचनवाडी वासना, तालुक-सानंद जिला-अहमदाबाद में भेषज के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त आधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1630(अ) दिनांक 28 सितंबर, 2006 द्वारा उपर्युक्त को विशेष आर्थिक जोन में 48.83 हेक्टेयर का क्षेत्र अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. जाइडस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने अब 1.4585 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है;

अतः, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 1.4585 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 50.2885 हेक्टेयर हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

तालिका

क्र. सं.	गाँव	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	मटोडा	495/2	0.7575
2.		474	0.3558
3.		475/3	0.0168
4.		473/1	0.3284
कुल			1.4585
उपर्युक्त जोड़ के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			50.2885

[फा. सं. एफ.2/44/2005-एसईजेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2016

S.O. 3158(E).—Whereas, M/s. Zydus Infrastructure Private Limited, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a Special Economic Zone for Pharmaceuticals at Village-Matoda, Sari and Chachanvadi Vasna on National Highway 8-A, Taluk-Sanand District- Ahmedabad, in the State of Gujarat;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, had notified an area of 48.83 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1630(E) dated 28th September, 2006;

And whereas, M/s. Zydus Infrastructure Private Limited, has now proposed to include an area of 1.4585 hectares as a part of above Special Economic Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of 1.4585 hectares, as a part of above Special Economic Zone, thereby making total area of the Special Economic Zone as 50.2885 hectares, comprising the survey numbers and the area given below in the table namely:—

TABLE

Sl. No.	Village	Survey No.	Area in hectares
1.	Matoda	495/2	0.7575
2.		474	0.3558
3.		475/3	0.0168
4.		473/1	0.3284
Total			1.4585
Grant total area of SEZ after above addition			50.2885

[F. No. F.2/44/2005-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.